प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 10.08.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 17 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6892 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6892 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नाथनगर पेट्रोल पम्प के पास से कालर द्वारा दो बाईक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियो (1. लक्ष्मी पत्नी दुर्गेश 2. विन्ध्यवासिनी पत्नी सोनू 3. प्रिन्स पुत्र विरेन्द्र ग्राम सवईपार थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ- आ0 मुकेश कुमार, आ0 अरुण गौड़, हो0चा0 विरेन्द्र चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 28 वाहनों से 40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 28 वाहनों से 40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।